भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *17

25.11.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

***17. श्री मनीष जायसवाल :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और 15वें वित्त आयोग वायु गुणवत्ता निष्पादन अनुदान के अंतर्गत वायु गुणवत्ता और प्रदूषण को कम करने के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) झारखंड राज्य में कोयला खनन क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' के संबंध में श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *17 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी, 2019 में की गई थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तरीय स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 130 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने वाले शहरों तथा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। एनसीएपी में वर्ष 2025-26 तक PM10 के स्तर में 40% तक कमी लाने अथवा राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर) को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

सभी शहरों द्वारा अपने-अपने शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के उपायों को कार्यान्वित करने हेतु शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में मिट्टी एवं सड़क की धूल, वाहन जनित उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाने की घटना, निर्माण एवं विध्वंस संबंधी कार्यकलापों तथा औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण के स्रोतों को लक्षित किया गया है। दस लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों को पन्द्रहवें वित्त आयोग मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के तहत वित्तपोषित किया गया है और शेष 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्तपोषित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान वर्ष 2023-24 तक शहरों को 11,211.13 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा, एनसीएपी में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), एएमआरयूटी, स्मार्ट सिटी मिशन, एसएटीएटी और नगर वन योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त संसाधनों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों से प्राप्त संसाधनों के समन्वय के माध्यम से शहर कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, 130 शहरों में से 97 शहरों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में PM_{10} की वार्षिक सांद्रताओं की दृष्टि से वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। 55 शहरों में वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2023-24 में PM_{10} के स्तरों में 20% और उससे अधिक की कमी हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18 शहरों ने PM_{10} के संबंध में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) ($60 \mu g/m^3$) प्राप्त कर लिए हैं। 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): झारखंड के कोयला खनन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 130 शहरों में PM10 सांद्रता में सुधार				
क्र.सं.	शहर	वर्ष 2017-18 में PM10 सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2023-24 में PM10 सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 सांद्रता में प्रतिशत कमी (%)
1.	वाराणसी	230	73	68
2.	बरेली	207	80	61
3.	फिरोजाबाद	247	102	59
4.	देहरादून	250	109	56
5.	धनबाद	315	138	56
6.	तूतीकोरिन	123	57	54
7.	नालागढ़	146	68	53
8.	मुरादाबाद	222	115	48
9.	खुर्जा	195	104	47
10.	त्रिची	88	47	47
11.	कोहिमा	127	68	46
12.	लखनऊ	253	137	46
13.	कानपुर	227	125	45
14.	कडपा	75	42	44
15.	शिवसागर	73	41	44
16.	सुन्दर नगर	78	44	44
17.	आगरा	202	116	43
18.	ग्रेटर मुंबई	161	94	42
19.	ऋषिकेश	129	76	41
20.	परवाणू	66	39	41
21.	बर्नीहाट	175	104	41
22.	अहमदाबाद	164	98	40
23.	गाजियाबाद	285	172	40
24.	राजकोट	150	92	39
25.	जालंधर	178	111	38

26.	रायबरेली	145	91	37
27.	अमृतसर	189	119	37
28.	बद्दी	174	111	36
29.	कोलकाता	147	94	36
30.	जम्मू	157	101	36
31.	सिलचर	49	32	35
32.	जोधपुर	189	124	34
33.	विजयवाड़ा	91	61	33
34.	नया नंगल	87	59	32
35.	दीमापुर	142	97	32
36.	खन्ना	142	100	30
37.	दुर्गापुर	150	106	29
38.	कुरनूल	79	56	29
39.	डेरा बाबा नानक	79	56	29
40.	वडोदरा	133	95	29
41.	इलाहाबाद	169	124	27
42.	आसनसोल	147	108	27
43.	श्रीनगर	132**	96	27
44.	हैदराबाद	110	81	26
45.	गोरखपुर	150	111	26
46.	अनंतपुर	78	59	24
47.	रांची	141	107	24
48.	बेंगलुरु	92	70	24
49.	अकोला	111	85	23
50.	दुर्ग भिलाईनगर	86	68	21
51.	सूरत	130	103	21
52.	नोएडा	229	182	21
53.	हावड़ा	139	111	20
54.	थाणे	138	111	20
55.	लातूर	82	66	20
56.	नेल्लोर	64	52	19
57.	गजरौला	204	167	18

58.	फरीदाबाद	229**	190	17
59.	अलवर	152	127	16
60.	चित्तूर	70	59	16
61.	काला अम्ब	118	100	15
62.	मंडीगोबिंदगढ़	148	126	15
63.	अमरावती	102	87	15
64.	पटियाला	106	91	14
65.	जयपुर	172	148	14
66.	ओंगोल	65	56	14
67.	दिल्ली	241	208	14
68.	चंद्रपुर	118	102	14
69.	नासिक	82	72	12
70.	झांसी	109	96	12
71.	सांगली	87	77	11
72.	देवांगेरे	74	66	11
73.	कोटा	139	124	11
74.	राजमुंदरी	85	76	11
75.	हुबली, धारवाड़	79	71	10
76.	जबलपुर	101	91	10
77.	उज्जैन	93	84	10
78.	गुंटूर	66	61	8
79.	कलिंग नगर	109	101	7
80.	मेरठ	159	149	6
81.	नागपुर	100	94	6
82.	एलुरु	72	68	6
83.	मदुरै	72	68	6
84.	दमताल	55	52	5
85.	हल्दिया	92	87	5
86.	अनपरा	175	166	5
87.	बदलापुर	160	152	5
88.	उदयपुर	127	121	5
89.	संगारेड्डी	85	81	5

90.	चेन्नई	66	63	5
91.	लुधियाना	168	161	4
92.	पुणे	102	98	4
93.	जमशेदपुर	135	130	4
94.	कोल्हापुर	89	86	3
95.	उल्हासनगर	153	149	3
96.	श्रीकाकुलम	69	68	1
97.	काशीपुर	99	98	1
98.	तालचेर	113	113	0
99.	नलगोंडा	59	59	0
100.	भोपाल	112	113	-1
101.	सागर	73	74	-1
102.	विजयनगरम	72	73	-1
103.	चंडीगढ़	114	116	-2
104.	गुलबर्गा	55	56	-2
105.	जलना	99	102	-3
106.	पटना	172	178	-3
107.	कोरबा	57	59	-4
108.	पौंटा साहिब	84	90	-7
109.	ग्वालियर	126	136	-8
110.	रायपुर	70	76	-9
111.	नवी मुंबई	88	98	-11
112.	राउरकेला	99	111	-12
113.	मुजफ्फरपुर	147	168	-14
114.	बैरकपुर	86	99	-15
115.	गुवाहाटी	103	119	-16
116.	डेरा बस्सी	88	102	-16
117.	सोलापुर	81	96	-19
118.	देवास	83	99	-19
119.	इंदौर	82	99	-21
120.	वसई विरार	99	125	-26
121.	नगांव	82	107	-30

122.	औरंगाबाद	75	98	-31
123.	गया	79	104	-32
124.	भुवनेश्वर	85	114	-34
125.	जलगांव	70	97	-39
126.	कटक	93	129	-39
127.	नलबाड़ी	87	127	-46
128.	बालासोर	84	124	-48
129.	विशाखापत्तनम	76	120	-58
130.	अंगुल	97	167	-72

** फ़रीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के PM_{10} के स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फ़रीदाबाद के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के PM_{10} के स्तर और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के PM_{10} के स्तर को आधार रेखा माना गया है।

* वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने वाले पटनचेरू शहर को हैदराबाद शहरी समूह के साथ विलय कर दिया गया है और तदनुसार एनसीएपी के तहत कवर किए गए शहरों की संशोधित संख्या 130 है।

अनुबंध-।।

झारखंड राज्य के कोयला खनन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

i. ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कोयला खानों के लिए केंद्रीय स्तर पर और 500 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर क्षेत्रफल वाले खानों के लिए राज्य स्तर पर जारी की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय अनुपालन सहित पर्यावरणीय निगरानी योजना (ईएमपी) के कार्यान्वयन के संबंध में कई शर्तें निर्धारित की जाती हैं जो निम्नलिखित हैं:

 क. कोयले के परिवहन के लिए घने वृक्षारोपण के साथ विशेष पक्की सड़क का निर्माण और सड़क के दोनों किनारे पर हरित क्षेत्र का विकास;

 ख. सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संस्थापना;

 ग. कोयला परिवहन के मार्ग में फॉग केनन (मिस्ट स्प्रेयर) एवं स्प्रिंकलरों की संस्थापना;

 घ. क्लोज पाइप कनवेयर सिस्टम के माध्यम से कोयले के परिवहन के लिए विशेष यांत्रिक प्रणाली की संस्थापना;

 ङ. खान की सड़कों के किनारे, भरे हुए डंपों और नॉन-डंप क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों का चयन करके सघन वृक्षारोपण।

ii. कोयला खानों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर, श्वसनीय सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाईऑक्साइड, नाईट्रोजन ऑक्साइडों जैसे प्रदूषण कारी तत्वों के लिए वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं और उन्हें वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति तंत्र के जरिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा लागू किया जाता है।

iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, धनबाद, रांची और जमशेदपुर शहरों द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों, जिनमें कोयला खनन कार्यकलापों और कोयले के परिवहन में वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय शामिल हैं, के लिए शहर कार्य योजना तैयार की गई है।

iv. एनसीएपी के भाग के रूप में, झारखंड के शहरों (धनबाद, रांची और जमशेदपुर) को वर्ष 2019-20 के दौरान वर्ष 2023-24 तक के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के उपायों को कार्यान्वित करने हेतु पन्द्रहवें वित्त आयोग मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज अनुदान के तहत 279.44 करोड़ रूपए की धनराशि प्रदान की गई थी।

v. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार कोयला खानों में ऑनलाइन निगरानी तंत्र संस्थापित किए गए हैं।

vi. नगर निगम द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु खनन कार्यकलापों की विनियामक निरीक्षण में तेजी लाई गई है।

vii. नियमित रूप से परामर्शिकाएं जारी की गई हैं और जागरूकता एवं जबावदेही को बढ़ावा देने हेतु परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं।

viii. खनन सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए 21 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ix. सप्ताह के दौरान दर्ज की गई वायु गुणवत्ता के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साप्ताहिक वायु गुणवत्ता बुलेटिन प्रसारित किया जाता है।